कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक 3326 /वाद सं0–सी–0959/एस–5/2022 दिनांक: 13/8/2024

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि श्री परमबीर सिंह एवं प्रिंस, निवासी–राणा फार्म, नकरौंदा, वार्ड न0–99, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 100 बीघा क्षेत्रफल में भू–विन्यास का चिन्हीकरण करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं0 सी–0959/एस–5/2022 योजित किया गया। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक सम्यक सुनवाई उपरान्त कार्यालय आदेश पत्रांक 4888 दिनांक 13.12.2022 के अनुपालन में दिनांक 27.07.2023 एवं पुनः 12.06.2024 ध्वस्त कर दिया गया था, किन्तु विपक्षी द्वारा पुनः डिमार्केशन कर प्लाट बेचे जा रहे है एवं विपक्षी के विरूद्व लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं अतः दिनांक 28-8-24 को अनाधिकृत प्लाटिंग को पुनः ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता/पी0अधि0,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को सूचनार्थ प्रेषित।

3. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताअ/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे0सी0बी0 एंव ध्वस्तीकरण से संबन्धित समस्त सामग्री संबन्धित सहा0 अभि0/अव0अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. श्री परमबीर सिंह एवं प्रिंस, निवासी–राणा फार्म, नकरौंदा, वार्ड न0–99, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि को आप स्वंय स्थल पर उपास्थित रहें एवं स्थल से अपना सम्मस्त सामान हटा ले। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक 4888 दिनांक 13–12–2022 आदेश की शर्त यथावत रहेगी।

कार्यालय जिलाधिकारी प्रवर्तन शाखा देहरादून

अधिशासी अभियन्ता/पी0अधि0,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।